

15.05.2019
Date:- 15.05.2019

To,
Nodal Officer
FCA, Aranya Bhawan,
Jaipur

Sub.- Reply for Diversion of 0.8748 ha of forest land in favor of PUBLIC DEPARTMENT WORK Shahpura, Jaipur, Construction of Road Widening & Strengthening of Manoharpur to Itwa Bhopji Via Nawalpura Charanwas (MDR-187) Proposal No. FP/RJ/ROAD/35096/2018

Ref.- Letter No. F 14 () 2018/FCA/PCCF/EDS-II Dated 9.05.2019

Sir,

In Reference to above subjected letter proposal for the Diversion of 0.8748 ha of forest land in favor of PUBLIC DEPARTMENT WORK Shahpura, Jaipur, Construction of Road Widening & Strengthening of Manoharpur to Itwa Bhopji Via Nawalpura Charanwas (MDR-187) has been examined in the office of Nodal Officer FCA, Aranya Bhawan, Jaipur with some observations and directed to convey with necessary rectifications.

In compliance of above letter the point wise reply for the following observation submitted as under:-

S.N.	Observations	Reply
A	Compliance of EDS Dated 17.12.2019 is as follows:	
1.	बिन्दु संख्या 1 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित सड़क की लम्बाई 28 कि०मी० होना अंकित किया गया है किन्तु ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट I के A-1 में अंकित नहीं किया गया है।	पार्ट I के A-1 में अंकित कर दिया गया है।
2.	बिन्दु संख्या 2.2 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा पुराने प्रस्तावों की सूची संलग्न किया जाना अंकित किया गया है किन्तु सूची संलग्न नहीं है।	सूची संलग्न कर दी गई है।
3.	बिन्दु संख्या 4 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रस्तावित डामर सड़क की चौड़ाई 3 मीटर से बढ़ाया जाकर 5.50 मीटर किया जा रहा है प्रस्तावित सड़क 1980 से पूर्व के होने का कोई प्रमाण संलग्न नहीं है। गूगल पर देखे जाने पर उक्त सड़क का निर्माण वर्ष 2014-15 के मध्य होना दिखाई दे रहा है। इस बारे में टिप्पणी लिया जाना प्रस्तावित है।	तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट अनुसार उक्त सड़क 1980 से पूर्व की बनी हुई है। तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट संलग्न है। प्रस्तावित सड़क 1980 से पूर्व की पक्की सड़क है जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो रखी है, इस सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। यूजर एजेन्सी की ओर से कोई FCA Violation नहीं किया गया है।
4.	बिन्दु संख्या 5.1 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित सड़क 28.30 कि०मी० में ही बननी है जिसमें 0/00 से 21/300 कि०मी० एवं 37/00 से 44/00 तक निर्माण कार्य करवाया जाना है। दूसरे पार्ट में बनने वाली सड़क का एलायमेंट भी नहीं किया गया है एवं यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसमें वन क्षेत्र आता है अथवा नहीं।	कि०मी० 37/00 से 44/00 तक वन क्षेत्र नहीं आता है।
5.	बिन्दु संख्या 5.2 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है बार चार्ट में प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र वन्यजीव क्षेत्र का अंकित किया गया है किन्तु वन्यजीव स्वीकृति के संबंध में कोई सूचना अंकित नहीं की गई है। यह स्पष्ट किया जावे कि प्रस्ताव में वन्यजीव क्षेत्र पड़ता है अथवा नहीं अन्यथा संशोधित बार चार्ट संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित बार चार्ट संलग्न कर दिया गया है।
6-	प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी अजीत कुमार जांगिड है जबकि हस्ताक्षर मोहन लाल वर्मा द्वारा किये गये हैं संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित कर दिया गया है।

Submitted for necessary action and approval please.

Enclosed: - As above.